न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश

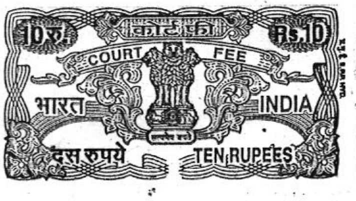

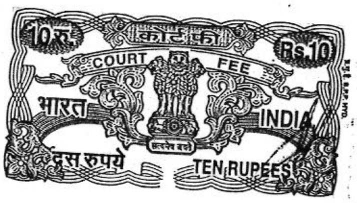

R-1424-II/12

विष्णु प्रताप सिंह तनय स्व0 श्री शिवदयाल सिंह उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम टिकुरी तहसील त्योंथर जिला रीवा म0प्र0 ....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. रिपुदमन सिंह तनय स्व0 श्री भगवत सिंह उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम टिकुरी तहसील त्योंथर जिला रीवा म0प्र0 ,
2. शासन म0प्र0 ....उत्तरवादीगण

अधिवक्ता श्री अरविन्द सिंह बघेल द्वारा प्रस्तुत। रीवा, दि० 02.05.2012

निगरानी विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय वृत गढ़ी तहसील त्योंथर जिला रीवा म0प्र0 के प्रकरण क0 6/अ–3/10–11 मे पारित आदेश दिनांक 01.12.11

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

मान्यवर ,

संक्षिप्त विवरण

1. यह कि निगरानीकर्ता एवं उत्तरवादी एक ही वंशवृक्ष के हैं, तथा आराजी खसरा नं. 53 उभय पक्ष की पैतृक आराजी है। जिसमे आपसी हिस्सा बांट होने के पश्चात बटांक नम्बर पड़ गया है। जिसमे से उत्तरवादी रिपुदमन सिंह को उक्त आराजी मे उत्तर दिशा मे 53/3 रकवा 0.66 एकड़ मिला था जबकि निगरानीकर्ता को उत्तरवादी की आराजी के दक्षिण तरफ 53/5 रकवा 0.66 एकड़ मिला था। अन्य हिस्सेदार शिवराज कुमारी को निगरानीकर्ता के दक्षिण तरफ तथा शासकीय सड़क से लगा उत्तर दिशा तरफ 53/4 रकवा 0.65 एकड़ मिला था। शिवराज कुमारी की कोई संतान नहीं थी जिससे निगरानीकर्ता एवं उत्तरवादी तथा एक अन्य हिस्सेदार उनके विधिक वारिस होने से समान–समान हिस्सा 1/3 , 1/3 प्राप्त किये थे। निगरानीकर्ता उक्त प्राप्त हिस्से से ही अपनी आराजी से शासकीय सड़क पर आता जाता व निस्तार करता है।

विष्णु प्रताप सिंह

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

1424/II/12

मामला क्र0 **R**–1224–**II**/12 जिला–रीवा

विष्णू प्रताप सिंह/रिपुदमन सिंह

(1)	(2)	(3)
14.03.18	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	